राजस्थान सरकार

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक : रा.क.बो./संस्था/2022/ 11552 दिनांक 20.07.2022

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के अंतर्गत निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर शीघ्रलिपिक के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसुचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 23,700/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–10 पर अधोलिखित शर्तो पर प्रोविजनल नियुक्ति आदेश जारी कर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :–

S.No	ROLL No.	Name	Father's Name	DOB	Cat
1	109855	VEENA TAHILYANI	RAJKUMER TAHILYANI	20.09.1992	GEN
2	101764	GOPAL CHAND	BHERU LAL	21.04.1997	GEN-EWS
3	101650	RAVINDRA SINGH SHEKHAWAT	MOTI SINGH SHEKHAWAT	10.06.2001	GEN-EWS
4	109775	PRADEEP PESWANI	HARIRAM PESWANI	13.08.1983	GEN

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है :–

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 05.08.2022 से पूर्व अपने पद का कार्यभार संभालना होगा। किसी कारणवश नियत दिनांक तक उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्न हस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। Reasonable उत्तर प्राप्त होने पर कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि चाहने पर, अभिवृद्धि स्वयं के स्तर पर राज्य सरकार से प्राप्त करनी होगी। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन (संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होगा) सहित शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक (Computer/typing संबंधी) आयु व अन्य किसी छूट (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./विकलांग आदि जो भी लागू हो) के संबंध में आवश्यक मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। ओ.बी.सी. एवं एम.बी.सी. वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत जारी किया गया हो। सभी दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों (उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित) की सत्यप्रतियां (Certified/ Self Attested Documents) आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होगें। विवाह में दहेज न लेने एवं न देने से संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह पजीयन प्रमाण पत्र, संतान संबंधित शपथ पत्र, धुम्रपान सबंधित शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां मूल दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने

निरन्तर.......2

होंगे। गर्भवती महिला के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी के कार्यग्रहण के समय या उसके पश्चात दस्तावेजों व पात्रता के सत्यापन में यदि अभ्यर्थी अपात्र पाया जाता है, तो स्वतः ही उसकी नियुक्ति को निरस्त समझा जायेगा।

3. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण से पूर्व नियत वेतन **(Fix Pay)** पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

4. उक्त नियुक्तियां सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ.11/एसटी एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्य अवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015 पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11(204) आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(04) कार्मिक/क–5/2017 पार्ट–III दिनांक 05.04.2021 के बिन्दु संख्या 9 एवं 10 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।

5. परीवीक्षा काल **(Probation Period)** में इन्हे नियमानुसार कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।

6. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षा काल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति कर ली गई विभागीय परीक्षा यदि कोई हो, में असफल रहने पर उन्हें किसी भी समय बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से विमुक्त (सेवोन्मुक्त) किया जा सकेगा।

7. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण शीघ्रलिपिक के पद पर पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–10 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते देय होंगे।

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2018 में सूची के अनुसार उपरोक्त योग्यता क्रम में ही रहेगी।

9. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में प्रदत प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

10. राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

11. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम **(Through Proper Channel)** से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

निरन्तर........3

12. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अंतर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।

13. संबंधित अभ्यर्थियों को पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

14. परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, एफ.6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, एफ.1(2) एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, एफ.13(1) एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2008 दिनांक 30.10.2017 एवं वित्त विभाग द्वारा जारी एफ. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा– मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतीपूर्ती भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुये निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

15. सभी अभ्यर्थीयों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।

16. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि इस विभाग में शीघ्रलिपिक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

17. अभ्यर्थी को कार्यभार संभालने हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक : सम/ 11553-11564 दिनांक : 20.07.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–:

1. श्रीमान् शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु./अनु.–3/2022 जयपुर दिनांक 13.07.2022 के क्रम में।
2. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय।
7. श्री दलराज चौधरी, कनिष्ठ सहायक को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. संबंधित अभ्यर्थी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर